पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में दिनांक 28/29.07.2022 को वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में क्रम में कुल 48 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पाया गया कि 05 वारंटी अभियुक्तों ने रिकाल करा लिया है तथा 05 की मृत्यु हो गयी है। इस तरह से जनपद मऊ में कुल 96 लम्बित वारंट में 58 निस्तारित हुये जिसमें थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा शैलेन्द्र निवासी सरसेना, रविन्द्र निवासी हाफिजपुर, लल्लन निवासी रसूलपुर, मनोज पुत्र राधे निवासी सरसेना, जितेन्द्र पुत्र श्यामबली निवासी ताजपुर थाना चिरैयाकोट, थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा राशिद, शाहिद निवासीगण खेदुपुरा, राजेश निवासी भदेसरा, मो0 राशिद निवासी प्यारेपुरा, फारूक अहमद निवासी अस्तुपुरा, संतोष निवासी दशई पोखरा थाना दक्षिणटोला, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा निर्मोही निवासी गोठा, बृजराज, बृजेश पुत्र श्रवण निवासी फरसरा बुजुर्ग, घरभरन चौहान निवासी बहादुरपुर निवासी दोहरीघाट, राजेश यादव निवासी धनौली थाना रामपुर, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा लालता निवासी कुचहरा, धनंजय, गंगा निवासीगण खडवान, उदयभान निवासी बनियापार थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा दिनेश राजभर, गनेश, संजय निवासीगण मउकुबेर, विरेन्द्र राम निवासी हलधरपुर, रवीन्द्र निवासी जगदीपुर, सुभाष यादव निवासी सिधवल, रामविलास निवासी पिंडोहरी थाना हलधरपुर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा मन्नू निवासी दानकबीर, बबलू निवासी मठिया परदहां, सोनू निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा स्वामीनाथ निवासी खीरीकोठा, राजू निवासी कटघराशंकर, लालमणि व शेषनाथ निवासीगण बहादुरपुर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा दीपचंद, रामसेवक, चौथी, सुभाष, सुरेन्द्र निवासीगण खैराबाद, सोनू निवासी इशहाकपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा पुन्नीलाल निवासी सोनिसा, भगवान चौहान निवासी भुसुवा, संदीप निवासी दतौली व सुनील निवासी चकिया, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मनीष कुमार व अनीता देवी निवासीगण ठकुरमनपुर थाना सरायलखंसी व थाना **रामपुर** पुलिस द्वारा अनिल साहनी निवासी अजोपुर, कंचन राजभर निवासी शुकुल पट्टी व सतीश चन्द्र निवासी डुमरी थाना रामपुर मऊ को गिरफ्तार किया गयझं

<u>एक अन्तर्जनपदीय शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से चारपहिया वाहन में लदा लगभग 56 किग्रा नाजायज गांजा बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी घोसी के पर्यवेक्षण में थाना घोसी पुलिस व स्वाट टीम आजमगढ़ की संयुक्त टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर कि गांजा तस्कर, एक एक्सयूवी 500 (यूपी14बीपी1836) से गांजा लेकर आजमगढ़ से मुहम्मदाबाद गोहना की तरफ जाने वाले हैं, इस सूचना पर स्वाट टीम आजमगढ़ व थाना घोसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बृजपुरा पुलिया के पास से उक्त वाहन को रोकने के इशारे पर वाहन और तेज स्पीड से लेकर भागने लगा जिससे मौजूद पुलिस टीम बाल–बाल बची तत्पश्चात पीछा कर उक्त वाहन चालक परवेज पुत्र मो0 अकील निवासी अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़ के कब्जे से वाहन में लदा बोरी में भरा 11 बंडल लगभग 56 किग्रा0 नाजायज गांजा बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि वह उड़ीसा से गांजा लाकर मऊ, गाजीपुर आजमगढ़ आदि जनपदों में सप्लाई करता है।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त व पूछताछ में बताये गये अन्य लोगों के विरुद्ध मु0अ0सं0 389/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट एवं उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 390/22 धारा 307 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. परवेज पुत्र मो0 अकील निवासी अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़।

बरामदगी–

1. 56 किग्रा0 नजायज गांजा।
2. गांजा तस्करी में संलिप्त वाहन एक्सयूवी 500 (यूपी14बीपी1836)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी, उपनिरीक्षक ओम सिंह, मुख्य आरक्षी मनोज सिंह थाना घोसी।

निरीक्षक गजानंद चौबे प्रभारी स्वाट टीम आजमगढ़, उपनिरीक्षक श्रीप्रकाश शुक्ला, मुख्य आरक्षी दिलीप पाठक स्वाट टीम व आरक्षी उमेश यादव एवं यशवंत सिंह सर्विलांस सेल आजमगढ़।

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत छेड़खानी से सम्बन्धित वायरल वीडियो मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा कैलेण्डर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 444/22 धारा 354,506 भादवि0 व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व धारा 67 आइटी एक्ट में वांछित अभियुक्त सहाबुद्दीन पुत्र सरफुद्दिन निवासी नदवासराय थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 29.07.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बसस्टेण्ड सहादतपुरा के पास से मु0अ0सं0 220/22 धारा 363,366,376,506 भादवि0 व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र दुखन्ती निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना मुहम्मबाद पुलिस द्वारा जमीन बरामदपुर से मु0अ0सं0 250/22 धारा 419,420,467,468,471,504,506,120बी भादवि व धारा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण नफीस पुत्र अनवर, इरसाद, मो0 तालिब, जहरूद्दीन निवासीगण जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।